न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 279/2020

1. दरियासिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. मनोहरलाल पुत्र शेरा जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
2. घोघा पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
3. गुड्डी पुत्री मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
4. गणपतसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
5. सुबेसिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
6. सतवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
7. जयवीर पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी उतरादाबास त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र मील : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 15.7.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 315/279 के खसरा सं0 859/338 की 4.806है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 146/138 के खसरा सं0 116 की 0.708है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा शेरा की खातेदारी हुआ करती थी। शेरा के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया । प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 दरियासिंह पुत्र मनोहरलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही

Scanned with CamScanner

उतरादावास प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही उतरादावास संवत 2019 प्रदर्श 3 जमाबंदी रोही भनाई संवत 2019 प्रदर्श 4 व शपथ बावत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही भनाई व उतरादावास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही उतरादावास प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही उतरादावास संवत 2019 प्रदर्श 3 जमाबंदी रोही भनाई संवत 2019 प्रदर्श 4 व शपथ बावत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 5 शपथ पत्र बावत वारिस प्रमाण के अनुसार मनोहरलाल के पांच पुत्र दरियासिंह, गणपतसिंह, सुबेसिंह , सतवीर व जयवीर तथा दो पुत्री घोघा, गुड्डी इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 3 व 4 से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने वादी एवं प्रतिवादी सं0 4 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादीगण सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 315/279 के खसरा सं0 859/338 की 4.806है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही मौजा उतरादाबास के खाता सं0 146/138 के खसरा सं0 116 की 0.708है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 ता 7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने पर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दरियासिंह, प्रतिवादी सं0 4 गणपतसिंह प्रतिवादी सं0 5 सुबेसिंह प्रतिवादी सं0 6 सतवीर प्रतिवादी सं0 7 जयवीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 143/2020

1. मनीराम पुत्र. निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. निकूराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
2. नोरगंलाल पुत्र निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
3. सिलोचना पुत्री निकूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी त0 भादरा।
4. शाखा प्रबन्धक पीएनबी बैंक शाखा मलसीसर त0 भादरा।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद सिंगाढीया एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता0 सं0 44/43 के खसरा सं0 14/1 की 3.035है0 खसरा सं0 16 की 2.959है0 खसरा सं0 34 की 0.949है0 कुल 6.943है0 प्रतिवादी सं0 1 निकूराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 निकूराम का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 3 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 मनीराम प्रतिवादी सं0 2 नोंरगलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.7.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner